

मुजफ्फरपुर 7 जान लेने वाले प्रसाद हॉस्पिटल पर चलेगा बुलडोजर!

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल का बड़ा फर्जीवाड़ा स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनी है...
- >> सुरक्षा मानकों को कथित किया गया नजरअंदाज...
- >> डीएम को सौंपी गई 5 सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट अवैध निर्माण की हुई आधिकारिक पुष्टि...
- >> बुधवार को जिलाधिकारी को सौंपी गई रिपोर्ट...
- >> नगर नगिम का कड़ा एक्शन अस्पताल प्रबंधन को भेजा गया कारण बताओ नोटिस...
- >> जवाब देने के लिए मिला सीमित समय...
- >> संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई ध्वस्त होगा अवैध हस्ति, लगेगा भ...
- >> प्रशासन की आगामी कार्रवाई की सूची (Latest Update 2026) ...
- >> प्रबंधन की चालाकी नाकाम नगिम ने तीन दिन की कड़ी मशकत के बाद खोज निकाला मूल नक...
- >> रिकॉर्ड रूम से निकाला गया सच...
- >> नयिमों को ताक पर रखकर हुआ निर्माण जी प्लस 4 (G 4) की थी मंजूरी, तान दी जी प्लस ...
- >> अवैध तरीके से बढ़ाई गई मंजिलें...
- >> चौकाने वाला खौफनाक सच 7 मरीजों की जान लेने वाला आईसीयू (ICU) वार्ड भी था पूरी ...
- >> 7 बेगुनाह मरीजों की दर्दनाक मौत...
- >> नष्कर्ष (Conclusion)...
- >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न...

बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बेहद चौकाने वाली और डराने वाली खबर सामने आई है। शहर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में स्थित प्रसदिध प्रसाद हॉस्पिटल (Prasad Hospital Muzaffarpur) को लेकर प्रशासन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा न केवल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाने की कहानी भी बयां करता है।

हाल ही में अस्पताल के आईसीयू (ICU) वार्ड में लगी भीषण आग के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया था। इसके बाद जब जांच पड़ताल शुरू हुई, तो जो सच सामने आया उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। मुजफ्फरपुर नगर नगिम (Muzaffarpur Municipal Corporation) की कार्रवाई से पूरे स्वास्थ्य महकमे और नजी अस्पतालों के संचालकों में हड़कंप मच गया है।

मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल का बड़ा फर्जीवाड़ा: स्वीकृत नक

मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के भवन निर्माण को लेकर जो प्रशासनिक रिपोर्ट आई है, वह बेहद चौकाने वाली है। जांच के दौरान यह आधिकारिक रूप से पाया गया है कि अस्पताल का पूरा का पूरा भवन स्वीकृत नक्शे के विपरीत तैयार किया गया है। यानी जसि इमारत में सैकड़ों मरीजों की जान दांव पर लगी रहती है, उसका बेस ही पूरी तरह अवैध है।

सुरक्षा मानकों को कया गया नजरअंदाज

प्रसाद हॉस्पिटल के निर्माण में किसी भी तरह के सुरक्षा मानकों (Safety Standards) का पालन नहीं किया गया। बिल्डिंग बायलॉज को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए इस बहुमंजिला इमारत को खड़ा कर दिया गया, जिससे यहां आने वाले मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है।

डीएम को सौंपी गई 5 सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट: अवैध निर्माण

अस्पताल परिसर में पछिले दिनों हुई भीषण अगलगी की घटना के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीएम (आपदा प्रबंधन) के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच टीम (5-Member Investigation Team) का गठन किया गया था। इस कमेटी ने पूरे मामले की गहराई से जांच की है।

बुधवार को जलाधिकारी को सौंपी गई रिपोर्ट

जांच टीम ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर बुधवार को मुजफ्फरपुर के जलाधिकारी (DM) सुब्रत कुमार सेन को सौंप दी है। इस जांच रिपोर्ट के माध्यम से अस्पताल परिसर के अंदर चल रहे अवैध निर्माण और गंभीर विसंगतियों की आधिकारिक पुष्टि (Official Confirmation) कर दी गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है।

वैसे, अगर आप इस गंभीर प्रशासनिक खबर के बीच देश-दुनिया और खेल जगत की अन्य खबरों में रुचि रखते हैं, तो आपक्रिकिट में भूचाल! बेन स्टोक्स ने अचानक किया संन्यास का ऐलानकी पूरी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं।

नगर नगिम का कड़ा एक्शन: अस्पताल प्रबंधन को भेजा गया कारण बता

जांच रिपोर्ट में गंभीर गड़बड़ियों और जालसाजी का खुलासा होने के तुरंत बाद जलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कड़ा रुख अख्तियार किया। डीएम के सख्त निर्देश पर मुजफ्फरपुर नगर नगिम के नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) ऋतुराज प्रताप सहि ने फौरन एक्शन लिया है। नगर नगिम की ओर से अस्पताल प्रबंधन को एक कड़ा कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया है।

जवाब देने के लिए मिला सीमति समय

इस नोटिस के जरिए नगर नगिम ने प्रसाद हॉस्पिटल के प्रशासन से यह पूछा है कि आखिर किस आधार पर स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन करके इस अवैध

इमारत का निर्माण किया गया? अस्पताल प्रबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और जवाब दाखल करने के लिए एक नश्चिति समय सीमा दी गई है।

संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई: ध्वस्त होगा

मुजफ्फरपुर नगर नगिम ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर ढलाई नहीं बरती जाएगी। यदि अस्पताल प्रबंधन की ओर से दिया गया कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो प्रशासन बेहद सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

प्रशासन की आगामी कार्रवाई की सूची (Latest Update 2026):

>> अवैध हसिसे का ध्वस्तीकरण:स्वीकृत नक्शे के बाहर बनाए गए भवन के सभी हसिसों को चन्हति कर नगर नगिम के बुलडोजर द्वारा ध्वस्त (Demolish) कर दिया जाएगा।

>> भारी वत्तीय जुरमाना:अवैध रूप से कमरशयिल एक्टिविटी चलाने और नयिमों के उल्लंघन के लिए अस्पताल पर भारी जुरमाना (Heavy Fine) लगाया जाएगा।

>> कानूनी कार्रवाई और सीलगि:नयिमों की अवहेलना करने के जुर्म में अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर (FIR) दर्ज होने के साथ-साथ अस्पताल को सील भी किया जा सकता है।

प्रबंधन की चालाकी नाकाम: नगिम ने तीन दिन की कड़ी मशकत के ब

अस्पताल में हुए इस हादसे के बाद से ही नगर नगिम की टेक्निकल टीम और जांच टीम भवन के मूल नक्शे (Original Map) की तलाश कर रही थी। इसके लिए बकायदा प्रसाद हॉस्पिटल के प्रबंधन को आधिकारिक तौर पर नोटिस जारी कर नक्शा उपलब्ध कराने को कहा गया था, लेकिन प्रबंधन लगातार टालमटोल करता रहा।

रकिॉर्ड रूम से निकाला गया सच

अस्पताल प्रशासन ने जानबूझकर स्वीकृत नक्शे को छुपाए रखा ताकि उनका झूठ पकड़ा न जा सके। लेकिन नगर नगिम की टीम ने हार नहीं मानी। नगिम के कर्मचारियों ने लगातार तीन दिनों तक कड़ी मशकत की और मंगलवार को नगर नगिम के पुराने रकिॉर्ड रूम (Store Room) की खाक छानकर वर्ष 2011 का मूल स्वीकृत नक्शा खोज निकाला। नक्शा मिलते ही अस्पताल प्रबंधन की चालाकी पूरी तरह नाकाम हो गई।

इसके अतरिकित, यदि आप प्रतयोगी परीक्षाओं से जुड़े अपडेट्स तलाश रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध जेईई मेन 2026: 6 अप्रैल शफिट 1 और

2 के प्रश्न पत्र देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इसका विस्तृत समाधान जेईई मेन 2026: 6 अप्रैल शिफ्ट 1 और 2 के प्रश्न पत्र, समाधान व उत्तर कुंजी जारी! के माध्यम से भी चेक (Status Check) कर सकते हैं।

नियमों को ताक पर रखकर हुआ निर्माण: जी प्लस 4 (G 4) की थी मंज

नगर नगिम के पुराने रिकॉर्ड रूम से मलि दस्तावेजों (PDF Records) के अनुसार, वर्ष 2011 में इस जमीन पर अस्पताल निर्माण के लिए केवल जी प्लस फोर (G 4) यानी ग्राउंड फ्लोर के साथ चार मंजलि भवन का ही नक्शा पास किया गया था। लेकिन मौके पर जाकर जब जांच की गई तो हकीकत कुछ और ही निकली।

अवैध तरीके से बढ़ाई गई मंजलि

अस्पताल प्रबंधन ने सरकारी नियमों और स्वीकृत नक्शे को पूरी तरह ताक पर रख दिया। उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति या अनुमति के पहले तो जी प्लस फाइव (G 5) बिल्डिंग खड़ी कर दी। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने बिना किसी सेफ्टी क्लियरेंस के भवन का और ज्यादा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विस्तार (Horizontal Vertical Expansion) कर लिया।

चौकाने वाला खौफनाक सच: 7 मरीजों की जान लेने वाला आईसीयू (ICU)

इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक और खौफनाक पहलू यह है कि गत 4 जून को अस्पताल के जसि आईसीयू (ICU) वार्ड में भीषण आग लगी थी, वह हसिसा कानूनी तौर पर वजूद में होना ही नहीं चाहिए था। जांच टीम की अंतिम रिपोर्ट में यह स्पष्ट तौर पर सामने आया है कि वह आईसीयू वार्ड स्वीकृत नक्शे का हसिसा था ही नहीं।

7 बेगुनाह मरीजों की दर्दनाक मौत

बिना किसी अप्रूवल और वेंटिलेशन मानकों के बनाए गए इस अवैध आईसीयू वार्ड में आग लगने के बाद घुं से दम घुटने और झुलसने के कारण 7 गंभीर मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई थी। कई अन्य मरीज इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए थे, जिनका इलाज अभी भी विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। यह पूरी तरह से आपराधिक लापरवाही का मामला है।

नष्कर्ष (Conclusion)

मुजफ्फरपुर का प्रसाद हॉस्पिटल केस यह साफ दिखाता है कि किस तरह चंद रुपयों के लालच और प्रशासनिक सांठगांठ के भरोसे लोगों की जिदगी से खलिवाड़ किया जाता है। मुजफ्फरपुर नगर नगिम और जिला प्रशासन द्वारा की गई यह त्वरित कार्रवाई सराहनीय है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस अवैध इमारत को ध्वस्त करके दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजता है या नहीं। ऐसे अवैध निर्माणों पर कड़ा प्रहार होना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी किसी दर्दनाक घटना की पुनरावृत्ति न हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुजफ्फरपुर के बर्हमपुरा थाना क्षेत्र में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल (Prasad Hospital) में स्वीकृत नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण का बड़ा मामला सामने आया है।

अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद एडीएम (आपदा प्रबंधन) के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम ने इस पूरे मामले की जांच की है।

जांच टीम ने अपनी वसित्त रिपोर्ट मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी (DM) सुब्रत कुमार सेन को सौंप दी है।

नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सहि के निर्देश पर नगर नगिम ने अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ (Show Cause) नोटिस भेजा है और स्पष्टीकरण मांगा है।

संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में भवन के अवैध हिस्से को ध्वस्त (Demolish) करने के साथ ही प्रबंधन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

वर्ष 2011 में पास हुए मूल नक्शे के अनुसार, अस्पताल को केवल जी प्लस फोर (G 4) यानी ग्राउंड फ्लोर के साथ 4 मंजिला भवन बनाने की ही प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी।

प्रबंधन ने नियमों का उल्लंघन कर जी प्लस फाइव (G 5) बिल्डिंग खड़ी कर दी थी और उसके बाद भी बिना किसी अनुमति के भवन का अवैध वसितार जारी रखा।

अस्पताल प्रबंधन द्वारा नक्शा छुपाने के बाद, नगर नगिम की टीम ने तीन दिनों की कड़ी मशकत के बाद अपने पुराने रिकॉर्ड रूम (स्टोर) से वर्ष 2011 का मूल नक्शा खोज निकाला।

अस्पताल के आईसीयू (ICU) वार्ड में आग लगी थी और जांच रिपोर्ट के अनुसार, वह पूरा आईसीयू हिस्सा स्वीकृत नक्शे से बाहर पूरी तरह अवैध रूप से बनाया गया था।

4 जून को हुए इस दर्दनाक हादसे में दम घुटने और झुलसने की वजह से कुल 7 मरीजों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल मरीजों का इलाज जारी है।

हां, मुजफ्फरपुर नगर नगिम (Muzaffarpur Municipal Corporation) द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई के बाद शहर के अन्य उन सभी नज्जि अस्पतालों और कमर्शियल बिल्डिंग्स की जांच (Status Check) तेज हो सकती है जो बिना स्वीकृत नक्शे या अवैध रूप से चल रहे हैं।